

प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक— 29.10.2021

01 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार (थाना हथिगवां)–

जनपद के थाना हथिगवां से प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रभान सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र हथिगवां के नहर पुलिया बेंती मंदिर के पास से एक व्यक्ति बिन्देश्वरी प्रसाद यादव पुत्र बैजनाथ यादव नि० सिपाही का पुरवा, बेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को 01 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना रानीगंज पर मु०अ०स० 215/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

- बिन्देश्वरी प्रसाद यादव पुत्र बैजनाथ यादव नि० सिपाही का पुरवा, बेंती थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

- 01 किलो 180 ग्राम अवैध गांजा।

पुलिस टीम— प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रभान सिंह मय हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना हथिगवां)—

जनपद प्रतापगढ़ के थाना हथिगवां से उ०नि० श्री शेषनाथ सिंह यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 224/20 धारा 306 भादवि से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त मोहित कुमार पटेल पुत्र कीशी प्रसाद पटेल नि० शिवरामपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के शिवरामपुर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

- मोहित कुमार पटेल पुत्र कीशी प्रसाद पटेल नि० शिवरामपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम— उ०नि० श्री शेषनाथ सिंह यादव मय हमराह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना फतनपुर)—

जनपद प्रतापगढ़ के थाना फतनपुर से उ०नि० श्री अमित सिंह मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०स० 169/21 धारा 363, 366 भादवि से सम्बन्धित एक वांछित अभियुक्त अभिषेक उर्फ राजा बाबू विश्वकर्मा पुत्र सुरेश विश्वकर्मा नि० पूरे गोसाई, घूरीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के सुवंसा रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01. अभिषेक उर्फ राजा बाबू विश्वकर्मा पुत्र सुरेश विश्वकर्मा नि0 पूरे गोसाई, घूरीपुर थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम— उ0नि0 श्री अमित सिंह मय हमराह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थानाक्षेत्र महेशगंज के व्यापारी से फोन पर गाली गलौज करते हुए धमकी देने व 08 लाख की रंगदारी मांगने के प्रकरण का सफल अनावरण, एक अभियुक्त गिरफ्तारः—(थाना महेशगंज)—

दिनांक 24.10.2021 को वादी विनोद कुमार केसरवानी पुत्र अनोखेलाल केसरवानी नि0 हीरागंज थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना महेशगंज पर सूचना दी गई कि उनके मोबाइल नम्बर पर एक व्यक्ति द्वारा फोन कर गाली गलौज हुए धमकी दी जा रही है और 08 लाख रु0 की मांग की गई है। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना महेशगंज पर तत्परता से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सम्बन्धित को कड़े निर्देश दिये गये थे। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर घटना के अनवारण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में आज दिनांक 29.10.2021 को उ0नि0 श्री विवेक कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुख्यबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के अंजनी पुल के पास से उक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त बबलू सरोज पुत्र राम मनोहर सरोज नि0 पिंगरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से उक्त घटना से सम्बन्धित मोबाइल फोन व सिम बरामद कर लिया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

01. बबलू सरोज पुत्र राम मनोहर सरोज नि0 पिंगरी थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

01. घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन व सिम कार्ड।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0 229/21 धारा 386, 387, 504, 507, 420 भादवि थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ का विवरण—

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त बबलू सरोज उपरोक्त द्वारा बताया गया कि मैं हीरागंज बाजार के सुभाष केसरवानी पुत्र स्व0 शंकरलाल केसरवानी के यहां पेंटिंग के काम से आता जाता था, जिससे मेरी उनसे बात-चीत होती थी। एक दिन सुभाष केसरवानी ने मुझसे कहा कि बाजार के उमंग केसरवानी व उनके पिता को फोन करके तुम गाली और जान से मारने की धमकी दो, ये लोग घमण्ड में रहते हैं तथा सुभाष ने ही उनका नम्बर दिया। मेरे पास फर्जी आईडी पर लिया गया सिम है, जिससे मैं उमंग केसरवानी व उनके पिता को कई बार फोन करके गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दिया लेकिन उधर से कोई विरोध नहीं हुआ। मुझे लगा कि ये लोग डर गये हैं और इनसे रंगदारी

मागूंगा तो दे देंगे तो मैंने मैसेज करके 08 लाख रु0 की मांग की थी। आज मैं धमकी देकर रंगदारी का पैसा लेने की फिराक में था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा बताये गये तथ्यों के सम्बन्ध में जांच व कार्यवाही की जा रही है।

पुलिस टीम—

- उ0नि0 श्री विवेक कुमार मिश्रा मय हमराह थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

चोरी की 01 मोटर साइकिल व 08 अदद बैटरी के साथ, 04 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री सतपाल अंतिल द्वारा जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु निरंतर दिये जा रहे निर्देश के क्रम में कल दिनांक 28.10.2021 की रात्रि को थाना कुण्डा पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना क्षेत्र के मन्नान बाजार के पास से चोरी की 01 मोटर साइकिल के साथ दो अभियुक्तों जितेन्द्र उर्फ दीपू विश्वकर्मा व सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल चोरी की है और हम लोग बैटरी चोरी का भी काम करते हैं, हम लोग 8 बैटरी चोरी करके मन्नान बाजार के पहले बाग में बनी बाउण्डी में छुपा कर रखे हैं जहां पर हमारे दो अन्य साथी मौजूद हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की 08 बैटरी के साथ 02 अन्य अभियुक्तों शनि सरोज व मो0 शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस संबंध में थाना कुण्डा पर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 352/2021 धारा 379, 411 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण—

- जितेन्द्र उर्फ दीपू विश्वकर्मा पुत्र संतोष कुमार विश्वकर्मा नि0 मोहद्दीनगर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।
- सोनू पुत्र मो0 शहीद नि0 बिल्हौर थाना बिल्हौर जनपद कानपुर नगर हाल पता किराये का मकान रानी महेश्वर नगर, कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- शनि सरोज पुत्र बाबूलाल नि0 चौरा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।
- मो0 शाहिद उर्फ कल्लू पुत्र मो0 नौशाद नि0 खेमीपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी—

- 01 अदद चोरी की मोटर साइकिल हीरो स्प्लेण्डर नं0 यूपी 32 एबी 4757।
- 08 अदद बैटरी।

पुलिस टीम— उ0नि0 श्री उमेश प्रताप सिंह मय हमराह थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, मौके पर लगभग 03 किंटल लहन किया गया नष्ट— (थाना लालगंज)

जनपद के थाना लालगंज से थानाध्यक्ष श्री कमलेश पाल व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना क्षेत्र के बलदियान गांव में की गई छापामारी के दौरान एक स्थान से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब व लगभग 03 विवंटल लहन बरामद किया गया जबकि मौके से शराब बनाने वाले भाग निकले। मौके पर लगभग 03 विवंटल लहन को नष्ट किया गया।

बरामदगी—

1. 20 लीटर अवैध कच्ची शराब।
2. 03 विवंटल लहन।

पुलिस टीम— थानाध्यक्ष श्री कमलेश पाल मय हमराह थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ व आबकारी टीम जनपद प्रतापगढ़।